# मेरे सपनों का भारत

मैं कई बार सपने देखता रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण सपने सच भी होते रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि ऐसे यथार्थ सपने जागृत मस्तिष्क की सक्रियता के निष्कर्ष थे अथवा सुप्त मस्तिष्क के कोई परा मनोवैज्ञानिक संबंधों का परिणाम। मैनें इस दिशा में सोचने समझने का अधिक प्रयत्न भी नहीं किया। किन्तु इतना सच है कि कई बार जागृत अवस्था में तो मैनें सपने देखे ही, सुषुप्तावस्था में भी मैनें कई बार उपयोगी सपने देखे।

यह लेख लिखने का मेरा उद्देश्य सपनों की समीक्षा करना नहीं है। मेरा उद्देश्य तो यह है कि मैं कैसे समाज की कल्पना करता हूँ और वैसा समाज कैसे बन सकता है। मैने बचपन में ही सपना देखा था कि अपने शहर से सभी तरह की दादागिरी, गुण्डागर्दी, चोरी, डकैती, को दूर करके ही दम लूंगा। मैने प्रयत्न शुरू किये। शहर के लोगों ने मुझे प्यार और स्नेह दिया। शहर के आम लोगों ने मेरे सपने में एक में एक निश्छल प्रयत्न की छवि देखी। मुझे सत्रह वर्ष की उम्र में ही नगरपालिका का अध्यक्ष चुन लिया गया किन्तु कानून आड़े आया क्योंकि पचीस वर्ष की उम्र से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बनने पर रोक थी। मैं आठ वर्ष बाद पचीस वर्ष की उम्र में नगरपालिका अध्यक्ष चुना गया। तब मुझे पता चला कि हम स्थानीय लोग अपनी स्थानीय व्यवस्था भी दूरस्थ बैठे हुए लोगों द्वारा बनाये कानूनों के अनुसार ही करने हेतु बाध्य है। खैर मैं अध्यक्ष बना और जब मैने अपने सपने पर काम शुरू किया तब मुझे पता चला कि नगर व्यवस्था के कार्य में इतनी कानूनी अड़चनें है कि हम पूरी तरह उन कानूनों के गुलाम हैं जिनके निर्माण और सक्रियता में हम नगरवासियों की कोई भूमिका नहीं। हम तो सिर्फ दो ही काम कर सकते हैं 1–कानून बनाने वालों को चुनकर दिल्ली में बिठा सकते हैं और दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों द्वारा बनाये कानूनों के परिणाम चुपचाप स्वीकार कर सकते हैं। मेरी आत्मा ने विद्रोह कर दिया। मुझे वह नगरपालिका अध्यक्ष पद समाजिक शोषण में सहायक के समान चुभने लगा। एक दिन मुझे नींद आई। एक वर्ष पूरा होने के पूर्व ही मैने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। मैने महसूस किया कि रामानुजगंज शहर से दादागिरी, गुण्डागर्दी रोकना उतना आसान नहीं जितना मैं समझता रहा क्योंकि सभी प्रकार के अपराधों के चारों ओर रामानुजगंज से दिल्ली तक का कानूनों का एक मजबूत सुरक्षा कवच बना हुआ हैं जो कानून को तोड़ने वालों के लिये बहुत सुविधा जनक है किन्तु कानून मानने वालों के लिये मकड़ी का जाल है जिसमें मनुष्य सिर्फ फंस सकता है किन्तु बच नहीं सकता। मैने अपने शहर के नागरिकों को इस जाल के विषय मे बताना शुरू किया। न कोई नागरिको मेरी बात समझता था न मेरे परिवार के लोग। सबको मेरी बात कोरी आदर्श और हवाई लगती थी जिसका न कोई सिर था न पैर। मेरे बड़े भाई तो मेरी गतिविधियों से इतने दुखी हुए कि वे रामानुजगंज छोड़कर ही चले गये । इन सबके बावजूद और मेरी सभी बातें बेतरतीब समझते हुए भी शहर के सब लोगों को मुझ पर इतना अटूट विश्वास था कि वे आंख बन्द करके मेरी बात मानकर तदनुसार आचरण करने लगते थे। बड़े–बड़े आईएएस, आई.पी.एस. अफसर और न्यायाधीश भी मुझे पूरा–पूरा समर्थन और सहयोग देते थे।

जैसे–जैसे समय बीतता गया, मुझे सारा कानूनी मकड़जाल और अधिक स्पष्ट दिखता गया और उसी गति से उस जाल की शक्ति का भी आभास होता गया। दूसरी ओर मेरे अस्वाभाविक प्रयोगों के स्वाभाविक और अच्छे परिणामों से मेरे प्रति आस–पास के लोगों का भी समर्थन और विश्वास बढ़ा और मेरा कार्यक्षेत्र रामानुजगंज से बढ़कर जिला केन्द्र अम्बिकापुर हो गया। मैने अम्बिकापुर में दादागिरी, गुण्डागर्दी चोरी, डकैती, आदि से मुक्ति के लिये जन सम्पर्क प्रारंभ किया। मैने साम्प्रदायिकता पर अंकुश लगाने हेतु साम्प्रदायिकता के विरूद्ध जो योजना बनाई उसका तो सबने खूब समर्थन किया किन्तु मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विरूद्ध हिन्दू कट्टरवाद का मैने विरोध किया तो संघ परिवार पूरी तरह मेरे विरूद्ध मैदान मे आ गया। संघ के लोग गुण्डागर्दी और अपराध रोकने में मेरा पूरा–पूरा समर्थन इस शर्त पर करना चाहते थे कि मैं हिन्दू साम्प्रदायिकता पर अपनी जबान बिल्कुल बन्द रखूंगा। संघ के काम करने वाले अधिकांश प्रमुख लोग मेरे रिश्तेदार, निकट सहयोगी या घनिष्ट मित्र रहे हैं। मुझे अम्बिकापुर में काम शुरू किये दो तीन माह ही हुए थे और प्रगति संतोषप्रद थी। तभी वहां मेरी एक बड़ी आम सभा हुई जिसमें मैंने टिप्पणी की कि अयोध्या मे इतनी भीड़ इकट्ठा करके कानून तोड़ने का हिंसक प्रयास अनुचित और अनावश्यक रहा है। मेरी इस सामान्य सी टिप्पणी पर संघ के सब लोग इतने बौखलाये कि उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उनका हंगामा देखकर मुझे यह कहना पड़ा कि मैं खड़ा हूँ, तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकते हो। मैं आज भी यह महसूस करता हूँ कि यदि उनके पास पिस्तौल होती तो वे किसी भी सीमा तक जा सकते थे। दूसरे ही दिन से मेरे विरूद्ध अनेक असत्य प्रचार शुरू हुआ और मैंने अम्बिकापुर का प्रयोग छोड़कर फिर रामानुजगंज आना ठीक समझा। आज भी अम्बिकापुर का आम नागरिक अब अम्बिकापुर में अनियंत्रित दादागिरी गुण्डागर्दी से परेशानी अनुभव कर रहा है, संघ कार्यकर्ता मेरी साम्प्रदायिकता के विरूद्ध टिप्पणी को योजना की असफलता के लिये दोषी समझता है और मैं गुलाम मानसिकता वालों को दया का पात्र समझकर और अधिक वैचारिक स्वतंत्रता में सक्रियता आवश्यक मानता हूँ।

मैने रामानुजगंज में अपने स्वप्न की स्थानीय स्तर पर सफलता और राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनानी शुरू की। मेरा छोटा सा स्वप्न व्यापक स्वरूप और बहुत बड़ा आकार ग्रहण कर चुका था। दूसरी ओर अम्बिकापुर मे अपराधियों और नेताओं का समूह हमारे प्रयत्नों से परेशान हो रहा था। ऐसे परेशान लोगों की शिकायत पर हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने हमारे सारे प्रयत्नों को कुचलने का आदेश दे दिया और पूरे शहर पर प्रशासन ने गैरकानूनी, अनैतिक और अमानवीय अत्याचार किये। अम्बिकापुर के पत्रकारों ने उनके अत्याचारों का पूरा–पूरा समर्थन किया। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से घटनाओं की निगरानी करता था। रामानुजगंज पर हुए अत्याचार की घटनाएं जब प्रकाश में आयेंगी तब समाज को पता चलेगा कि स्वतंत्र भारत के एक कोने में अहिंसक और संविधानिक तरीके से कितने बड़े हिंसक आक्रमण पर जीत दर्ज हुई है। देश के लोगों को आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी घटना छिपी रह गई। इस सम्पूर्ण संघर्ष में सर्वोदय के राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेताओं ने हमारे संघर्ष को मार्ग दर्शन दिया। तीस मार्च छियान्नवे को प्रशासन द्वारा मुझे गोली मारने की सारी तैयारी थी किन्तु सर्वोदय के अनेक प्रमुख लोगों की उपस्थिति के कारण प्रशासन को अपना निर्णय बदलना पड़ा। इस समूचे संघर्ष में हमारे शहर के सभी प्रशासनिक

अधिकारी से कर्मचारी तक हमारे आंदोलन के साथ थे। रामानुजगंज के संघ कार्यकर्ताओं ने उस समय अद्‌भुत साथ दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उस समय जान देने की स्थिति आती तो हमारे स्थानीय संघ के लोग अपनी–अपनी जान देकर भी मेरी रक्षा करते। हमने पूरे आक्रमण का कहीं विरोध नहीं किया। न कोई हड़ताल न चक्काजाम। कोई विरोध प्रदर्शन तक नहीं। हमारे छोटे से दिये ने तूफान का सारा आक्रमण झेला किन्तु एक खासियत रही कि वह बुझा नहीं। उच्च न्यायालय के सामने दिग्विजय सिंह जी को परास्त होना पड़ा। दो वर्षो मे ंही तूफान ठंडा हो गया। हमारे शहर की प्रगति पर गंभीर दुष्प्रभाव हुआ जो आज भी अनुभव किया जा सकता है। हमारे शहर के आम लोगों को आज भी उस संघर्ष में विजय पर गर्व है।

मुझे अपने सपनो को स्वरूप देने मे ंसर्वोदय के लोगों ने भरपूर मार्गदर्शन किया। रामानुजगंज की व्यवस्था में भी उनका भरपूर सहयोग मिला। बंगजी तो लगातार दस पंद्रह दिनों तक वहां बैठकर चर्चा किया करते थे। अमरनाथ भाई, सिद्धराज जी तथा अनेक सर्वोदय प्रमुखों को मेरे प्रयासों में एक राष्ट्रीय आंदोलन के प्रयास दिखते थे। सन् दो हजार तीन के प्रारंभ मे मेरें समक्ष सर्वोदय की सवोच्च टीम ने शर्त रखी कि मैं संघ को पूरी तरह अछूत मानूं। सर्वोदय के सभी प्रमुख लोगों की टीम रामानुजगंज यह जांच करने गई कि मेरा संघ से क्या संबंध है। मैने दोनो ही बार कोई शर्त अस्वीकार कर दी। मैने यह स्पष्ट किया कि संघ की विचार धारा कट्टर है किन्तु संघ में बड़ी संख्या में अच्छे लोग हैं। मैं संघ की कट्टरता का विरोधी हूँ किन्तु उनके अच्छे लोगों के सामाजिक गुणों का प्रशंसक भी हूँ। सर्वोदय ने मुझे साम्प्रदायिक मानकर बंग जी को मुझसे दूर रहने की सलाह दी जिसे बंग जी ने स्वीकार नहीं किया। दो तीन माह बाद सर्वोदय की सर्वोच्च कार्यकारिणी ने लगभग सर्वसम्मति से बंग जी को मेरे विरूद्ध चेतावनी दी। बेचारे बंग जी की कठिन स्थिति को देखकर मैनें उनसे सम्पर्क कम करना ही उचित समझा। मैंने महसूस किया कि कट्टरवाद पर संघ का ही एकाधिकार नहीं है। सर्वोदय में भी अनेक लोग हैं जो दया के पात्र हैं।

मैंने एक निष्कर्ष निकाला था कि भारत के सभी अच्छे लोगों को एकजूट होना चाहिये। सभी संस्थाओं में अच्छे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। ये अच्छे लोग अपने–अपने घेरे के विषय में सोचते समय तो बहुत संकीर्ण हो जाते हैं किन्तु अन्य सभी मामलों में वे बहुत उपयोगी और उदार होते हैं। ऐसे लोग सर्वोदय में भी बड़ी संख्या में हैं और संघ में भी। ऐसे लोग साम्यवादियों में भी हैं और इस्लाम में भी। इन संगठनों के प्रमुख लोग अपने–अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह घेर कर रखते हैं कि किसी भी रूप में बाड़े से दूर न सोचने लग जावें। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इन बाड़ा प्रमुखों को संकीर्णता से ऊपर उठाने की है। देश के सभी अच्छे लोगों को एकजुट होना समय की मांग है। संकीर्णता इस सोच में बहुत बाधक है। सबके बीच संकीर्णता कम हो यही मार्ग है।

मैने दिल्ली में बैठकर सम्पूर्ण भारत के अच्छे लोगों को एकजूट करना शुरू किया।

मैंने बचपन में दादागिरी गुण्डागर्दी मुक्त रामानुजगंज का जो सपना देखा था वह अब बहुत व्यापक क्षेत्र और संदर्भो वाला स्वरूप ग्रहण कर चुका है। मेरा सपना न तो दादागिरी, गुण्डागर्दी की रोकथाम से पूरा हो सकता है न ही रामानुजगंज तक सीमित रहकर। ज्यों–ज्यों इस विषय पर विचार मंथन हुआ त्यों–त्यों इसमें नये–नये आयाम जुड़ने लगे। मेरे सपने का व्यापक रूप एक चंद्रकांता संतति का रूप ले चुका है। मैने अपने प्रयत्नों से मेरे सपनों का रामानुजगंज बनाने में आंशिक सफलता भी पाई किन्तु सफलता तब तक नहीं टिक सकती जब तक पूरे भारत का वातावरण न बदले। इसलिये मैने रामानुजगंज के प्रयोग के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया। मैंने नतीजा निकाला कि अब मेरे सपनो का भारत बहुत व्यापक स्वरूप का होगा।

बदले हुए भारत में कुछ प्रमुख परिवर्तन स्पष्ट दिखेंगे। क–सत्ता की अपेक्षा समाज का प्रभाव अधिक होगा। सत्ता समाज नियंत्रित होगी। ख–चोरी डकैती अपहरण कम से कम होंगे। आम नागरिकों का पुलिस और न्यायालय पर इतना अधिक विश्वास होगा कि सामान्यतया लोग भयमुक्त होंगे। ग–गरीब और अमीर के बीच की खाई कम होगी। घ–श्रम मूल्य और श्रम सम्मान बढ़ेगा। श्रम और बुद्धि के मूल्यों के बीच का फर्क कम होगा। च–साम्प्रदायिकता बिल्कुल नही होगी। हिन्दु समाज की आदर्श मान्यताएं समाज में प्रभावी होंगी। छ–जन्म के आधार पर वर्ण या जाति का प्रभाव कम होकर कर्म के अनुसार जाति के नये समीकरण बनेंगे। ज–भ्रष्टाचार लगभग अपवाद स्वरूप ही होगा। झ–समाज के आम लोगों का चरित्र बहुत उँचा होगा। ट–बलात्कार नही होंगे। महिलाओं का समानता के अधिकार प्राप्त होंगे। ठ–समाज में हिंसा पर विश्वास नहीं रहेगा। लड़ाई, झगड़ा, बल प्रयोग नहीं रहेगा। ड़–समाज में जालसाजी, धोखाधड़ी, मिलावट, कम नापतौल बिल्कुल नहीं रहेगा।

क–लोकतंत्र के दो भाग होते है 1–लोक 2–तंत्र। लोक का अर्थ समाज और तंत्र का अर्थ शासन होता हैं। दोनों को मिलाकर व्यवस्था बनती है। लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप लोक नियुक्त तंत्र है जिसमें समाज की भूमिका व्यवस्थापकों का चयन करने तक सीमित है। नई व्यवस्था में बदलकर यह भूमिका लोक नियंत्रित तंत्र हो जायेगी जिसमें शासन व्यवस्था पर समाज का नियंत्रण रहेगा। वर्तमान समय में शासन व्यवस्था को समाज के कस्टोडियन के अधिकार प्राप्त हैं जो नई व्यवस्था में बदलकर मैनेजर तक सीमित होंगे। समाज और शासन के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व की सीमाएं निश्चित करने के लिये जो संविधान, कर्तव्य और दायित्व की सीमाएं निश्चित करने के लिये जो संविधान बनेगा उसके निर्माण और संशोधन में समाज या समाज द्वारा निर्मित प्रक्रिया की निर्णायक भूमिका रहेगी, शासन या संसद की कम। समाज का एक निश्चित संवैधानिक ढांचा होगा जिसमें परिवार, गांव, जिला, प्रदेश और संघ या केन्द्र होंगे। इन सभी इकाइयों को अपने–अपने ढांचे के अन्तर्गत के विषयों में अपनी–अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के अन्तर्गत न्यायिक, कार्यपालिक और विधायी अधिकार होंगे। किन्तु समाज को किसी भी व्यक्ति को दण्ड देने का ऐसा अधिकार नहीं होगा जिस दण्ड से व्यक्ति सहमत या सन्तुष्ट न हो। इसका यह अर्थ हुआ कि किसी भी व्यक्ति को समाज के निर्णय के विरूद्ध शासकीय न्यायालय में जाने का अधिकार होगा। शासन भी अपनी सीमा में कार्यपालिक न्यायिक और विधायी अधिकार रखेगा। समाज और शासन बिना संविधान के किसी की सीमाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। केन्द्र सरकार के पास पांच विभाग वित्त विदेश, न्याय, सेना, पुलिस, रहेंगे। अन्य सभी विभागों का सारा कामकाज समाज देखेगा जो संघ सभा से लेकर परिवार तक बांटकर उनकी व्यवस्था करेगा। गौहत्या, पर्यावरण प्रदूषण, पशु अत्याचार, वैश्यावृत्ति, मादक पदार्थ निवारण, बालविवाह, बालश्रम धर्म, भाषा,

पारिवारिक संरचना, सामाजिक न्याय, आरक्षण, छुआछूत, आदि किसी भी विषय में शासन न हस्तक्षेप कर सकेगा न कानून बना सकेगा। इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अंतिम अधिकार समाज की विभिन्न इकाइयों का ही होगा। विवाह, पति–पत्नी सम्बन्ध, पिता पुत्र सम्बन्ध, पारिवारिक सम्पत्ति विभाजन आदि के संबंध में भी सरकार कोई कानून या व्यवस्था नहीं दे सकेगी। ये सब समाज की इकाइयों के ही विषय होंगे। संविधान के अन्तर्गत परिवार को एक स्वायत्त, स्पष्ट और सुदृढ़ भूमिका प्राप्त होगी। सम्पत्ति पर से व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर दिया जायगा। सम्पत्ति पर पूरे परिवार का अधिकार होगा। व्यक्ति परिवार में रहते हुए सम्पत्ति का स्वतंत्र उपभोग नही कर सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति परिवार छोड़ते समय अपने हिस्से की सम्पत्ति लेकर जायगा और नये परिवार में तत्काल सम्मिलित करेगा। जब तक कोई व्यक्ति नये परिवार में नहीं जाता तब तक सम्पत्ति ग्राम सभा के नियंत्रण में रहेगी। केन्द्र सभा का निर्वाचन नीचे से होगा अर्थात व्यक्तियों से परिवार बनेगा। परिवार मिलकर ग्राम सभा, ग्राम सभा मिलकर जिला सभा, जिला सभाएं प्रदेश सभा और प्रदेश सभाएं केन्द्रीय सभा बनायेंगी। विदेशों से यदि सामाजिक विषयों पर कोई चर्चा करनी होगी तो केन्द्र सभा कर सकती है केन्द्र सरकार नहीं। किन्तु विदेशों से समझौता सरकार के माध्यम से ही होगा।

केन्द्र सरकार का गठन उसी प्रकार होगा जैसे अभी होता है। चुनाव सुधार या अन्य कुछ विषयों पर कुछ और कानून बनाये जा सकते है। संविधान संशोधन संसद और समाज दोनों के सामंजस्य से ही हो सकेगा। कोई एक इकाई संविधान संशोधन नही कर सकती। मूल अधिकारों में संशोधन करके चार तक सीमित किया जायगा 1–जीने का 2–अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 3–सम्पत्ति 4–स्व निर्णय। शिक्षा, रोजगार, उपासना आदि अनेक अधिकार स्वः निर्णय मे ही समाहित होते है। पृथक से इनका कोई अर्थ नही होता हैं। पूरे भारत का प्रत्येक परिवार पंजीकृत होगा। एक भी व्यक्ति पंजीकरण से अलग नहीं होगा। प्रत्येक परिवार का नौ अंको का पहचान कोड होगा जिसमें दो अंक प्रदेश को, दो जिले को, दो गांव को, और तीन परिवार की पहॅचान इंगित करेंगे। इस तरह पूरे भारत में सौ प्रदेश, प्रदेश में सौ जिले और जिले में सौ गांव रहेंगे। चुने हुए सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की व्यवस्था संविधान में रहेगी और यह अधिकार समाज को होगा।

ख–चोरी, डकैती, लूट, अपहरण आदि अपराधों की रोकथाम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आतंकवाद पूरे भारत से पूरी तरह समाप्त होगा। अपराधियों के मन मे कानून का भय और समाज के मन में विश्वास पैदा किया जायेगा। इसके लिये–

1 पुलिस के दायित्व एकदम से इतने कम कर दिये जायेंगे कि वह अपराध नियंत्रण तक सीमित हो जावें। समाज के कामों में पुलिस का हस्तक्षेप शुन्य होने से पुलिस को पर्याप्त समय मिलेगा।

2–पुलिस के दायित्व कम होने से न्यायालय पर भी बहुत कम बोझ होगा। न्यायालयों में मुकदमें की संख्या घटकर एक दो प्रतिशत ही रह जायेगी जिससे त्वरित न्याय मिलेगा। न्यायालयों की भीड़भाड़ भी नहीं रहेगी और जेलों में कैदियों की संख्या भी बहुत कम हो जायेगी क्योंकि जेलों में अधिकांश कैदी तो ऐसे होते हैं जो विषय हम समाज को सौंप रहे हैं। अनेक अपराध तो सामाजिक न्यायालय ही निपटा देंगे। जो व्यक्ति समाज से नहीं सुधरेगा वैसे ही मामलें पुलिस और कोर्ट के पास जायेंगे।

3–अपराध नियंत्रण में परिवार की भूमिका भी स्पष्ट होगी। यदि किसी व्यक्ति के अपराध में परिवार के अन्य सदस्यों की लापरवाही होगी अथवा परिवार के सदस्य जानते हुए भी अपराधी को न्यायालय की सजा से बचाने का प्रयत्न के दोषी पाये जाते हैं तो न्यायालय परिवार के अन्य सदस्यों को भी दण्डित कर सकता है।

4–विशेष परिस्थितियों में विशेष क्षेत्र में तथा सीमित समय के लिये गुप्त मुकदमा प्रणाली शुरू की जायेगी। परिस्थिति, क्षेत्र और अवधि का निर्धारण कलेक्टर, एस. पी और जिला जज गुप्त रूप से करेंगे जिसका सम्पूर्ण संचालन पृथक विभाग करेगा। ऐसी स्थिति में गुप्तचर पुलिस केश बनाकर गुप्तचर न्यायालय को देगी और गुप्तचर न्यायालय गुप्त रूप से जांच करके गुप्त निर्णय सुनायेगा। अपील मे उपर के न्यायालयों की भी गुप्तचर इकाइयों ही गुप्त जांच करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी गुप्त न्यायालय की व्यवस्था का अधिकार दिया जायेगा। इस प्रावधान की घोषणा मात्र से ही अपराधियों के मन में भारी भय बन जायेगा।

5–बेरोजगारी, भूख, या अन्य किसी भी प्रकार की मजबूरी नहीं रहने दी जायेगी जिससे कोई व्यक्ति मजबूरी में कोई अपराध करे।

6–भारत का प्रत्येक परिवार और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति पूरी तरह पारदर्शी और ग्राम सभा में पंजीकृत होगी। इससे कोई सम्पत्ति या व्यक्ति को छिपाना अत्यन्त कठिन होगा।

ग–वर्तमान समय में गरीब और अमीर के बीच सम्पत्ति के अंतर की कल्पना भावनात्मक है वैचारिक नहीं। कल्पना करना भी कठिन दिखता है। नई व्यवस्था में यह अंतर कम होगा। अभी गरीब की न्यूनतम सीमा और अमीर की सम्पत्ति की अधिकतम सीमा रेखा कहीं नहीं दिखती क्योंकि जिसके पास अभी सौ करोड़ दिखते हैं उसका कितना गुप्त धन अलग है यह पता अभी सौ करोड़ दिखते हैं उसका कितना गुप्त धन अलग है यह पता ही नही है। गरीब की गरीबी का भी पता नही कि वह कितने कर्जे में है। नई व्यवस्था में वह सीमा अपने आप बन जायगी। इसके लिये–

1–आर्थिक असमानता को कम करने के लिये कोई कानूनी प्रयत्न नहीं किये जायेंगे।

2–सम्पत्ति की अधिकतम और न्यूनतम सीमा रेखा के कोई प्रावधान नहीं बनेंगे।

3–इन्कम टैक्स, सेल टैक्स, वेट, उत्पादन कर या अन्य किसी भी प्रकार के लगने वाले कर समाप्त कर दिये जायेंगे। न आय पर कर होगा न व्यय पर । सिर्फ एक कर लगेगा जो प्रत्येक परिवार की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति पर अधिकतम दो प्रतिशत वार्षिक होगा। इसके लिये प्रत्येक परिवार की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति का मूल्यांकित विवरण ग्राम सभा और शासन के पास होगा। यह कर प्रतिवर्ष लगने से आर्थिक असमानता निश्चित रूप से कम करेगा। यह कर इतना कम होगा कि काले धन की समस्या कम हो जायगी। ऐसी घोषणा चोरी डकैती या दुर्घटना के आकलन में भी सहायक होगी। ऐसी घोषणा परिवार के विभाजन के समय भी उपयोगी होगी। परिवार का कोई सदस्य आसानी से नहीं कह सकेगा कि सम्पत्ति कम या अधिक है।

4–व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने पर प्रतिबंध भी काला धन रोकने में सहायक होगा।

5–सम्पूर्ण सम्पत्ति पर कर लगने से जमीनों के दाम एकदम से कम हो जाएंगे। अनुपयोगी जमीन या मकान बिकेंगे।

घ–समाज के सुचारू संचालन हेतु न्यायपूर्ण अर्थ व्यवस्था एक आवश्यक शर्त है। आर्थिक अन्याय के शिकार चार प्रकार के लोग होते हैं। 1–श्रम प्रधान, 2–ग्रामीण, 3–मूल उत्पादक अर्थात् किसान 4–गरीब। भारत में लगभग आधी आबादी पर चारों शर्ते एक साथ लागू होती है। नई व्यवस्था में इस खाई को कम किया जायगा। इसके लिये–

1–सम्पत्ति कर को छोड़कर अन्य सभी कर हटा लिये जायेंगे।

2–भारत के प्रत्येक नागरिक को जीवन भत्ता नाम से भोजन वस्त्र के लिये आज के रूपया मूल्य अनुसार चार सौ रूपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह का दिया जायगा। इसमें उम्र, लिंग, गरीब, अमीर का कोई भेद नहीं किया जायेगा।

3– सम्पत्ति कर के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण बजट कमी के लिये कृत्रिम उर्जा डीजल, बिजली, पेट्रोल, गैस, कैरोसिन, कोयला की मूल्य वृद्धि की जायेगी। अनुमानतः वर्तमान मूल्यों की दो से ढाई गुनी तक हो सकती है।

4–जीवन भत्ता को छोड़कर सभी प्रकार की सब्सीडी समाप्त कर दी जायेगी। गरीबी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, किसानों को सस्ती खाद आदि सब बन्द। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी विभाग सरकार से निकलकर समाज के पास होने से इन सबकी चिन्ता समाज करेगा, सरकार नहीं।

उपरोक्त परिवर्तन से क्रान्तिकारी परिणाम होंगे। गंभीर विचार मंथन के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि भारत की सभी आर्थिक समस्याएं सुलझ जायेंगी, अनेक सामाजिक समस्याओं का भी समाधान होगा और प्रशासनिक समस्याओं पर भी आंशिक असर होगा। इस योजना के परिणाम स्वरूप

1–ग्रामीण स्तर पर श्रम मूल्य में लगभग दो से ढाई गुना वृद्धि संभावित है। शहरी क्षेत्र में श्रममूल्य कम बढ़ेगा।

2–श्रम संभव उद्योग मशीनों से हटकर श्रम क्षेत्र में आजावेंगे। आवागमन महंगा होगा इससे उत्पादन क्षेत्र विकेन्द्रित होंगे।

3–शहरों की आबादी घटेगी और गांवों की बढ़ेगी।

4–डीजल, पेट्रोल, मट्टी तेल की खपत घटेगी। बिजली इनका स्थान लेगी।

5–बाहर से डीजल पेट्रोल गैस का आयात बन्द हो जायगा। इससे भारत का आर्थिक बजट भी संतुलित होगा और मुस्लिम देंशो की अकड़ भी कम होगी।

6–डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि की खपत तो घटेगी ही, साथ ही वनस्पतिक डीजल, पेट्रोल का उत्पादन भी बहुत बड़ी मात्रा में हो जायगा। यह भी संभव है कि बड़ी मात्रा में डीजल, पेट्रोल, चलित उद्योग बिजली से चलने लगें।

7–व्यवस्था के क्षेत्र में बिजली की खपत घटेगी। बिजली महंगी होने से बिजली का उत्पादन बहुत बढ़ जायगा। सौर उर्जा या गोबर गैस भी बहुत प्रोत्साहित होंगे। बिजली का अभाव बिल्कुल समाप्त हो जायेगा। इससे अतिरिक्त बिजली डीजल पेट्रोल का विकल्प बनेगी।

8–रेलों, बसों या अन्य किराया बढ़ने से आवागमन घटेगा। इससे आवागमन की गुणवत्ता सुधरेगी।

9–डीजल, पेट्रोल की खपत घटने से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा।

10–बेरोजगारी बिल्कुल शून्य हो जायेगी। ग्रामीण, खेती अधिक लाभदायक होगी।

11–कृत्रिम उर्जा के मूल्य बढ़ने के बाद भी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़ेंगे क्योंकि बिक्री कर, उत्पादन कर, मंडी कर, वैट आदि समाप्त हो जायेंगे।

12–शिक्षा पर दबाव कम होगा क्योंकि शिक्षा कुछ महंगी होगी तथा श्रम मूल्य आकर्षक हो जायेगा।

13–पूरे देश का कुल उत्पादन बहुत बढ़ जायेगा। जहां उत्पादन और व्यवस्था श्रम संभव होते हुए भी कृत्रिम उर्जा संचालित है वह उत्पादन और व्यवस्था श्रम संचालित हो जायेगी। इससे बचने वाली कृत्रिम उर्जा मशीनी उत्पादन बढ़ायेगीं कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि के बाद भी उत्पादन लागत इसलिये नहीं बढ़ेगी क्योंकि बिक्रीकर तथा उत्पादन कर समाप्त हो जायेगा। अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात भी किया जा सकता है।

14–पूंजीवादी वर्ग की सुविधाएं और वामपंथियों के राजनैतिक नाटक पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। समाज दोनों प्रकार के भ्रम से मुक्त हो जायेगा।

15–भ्रष्टाचार भी कम होगा क्योंकि टैक्स भी केन्द्रित होगा और सब्सिडी भी केन्द्रित हो जायेंगी।

16–व्यवस्था में लगे हुए बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जायेंगे। ऐसे लोगों को या तो श्रम करना होगा या सुविधाओं में कटौती करनी होगी।

च–भारत में सम्प्रदाय बनाने की छूट होगी किन्तु साम्प्रदायिकता बिल्कुल नहीं होगी। भारत की सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्तों पर टिकी होगी। इसके लिये–

1–संविधान, शासन या कानून धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं कर सकेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक पर कानून समान रूप से लागू होंगे। हिन्दू कोड बिल सरीखे अनेक भेदभाव का कानून समाज का विषय होने से समाप्त कर दिये जायेंगे।

2–अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की धारणा बिल्कुल समाप्त हो जायेगी।

3–धर्म परिवर्तन करने पर कोई रोक नहीं होगी किन्तु धर्म परिवर्तन करने के पूर्व ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य होगी। ग्राम सभा के निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकती है।

4– गौहत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार कोई कानून नहीं बना सकेगी। समाज कानून बना सकता हैं क्योंकि यह विभाग ही सरकार से बाहर होगा। धर्म स्थानों में सन् सैंतालीस की स्थिति बनाये रखी जायेगी।

5– अयोध्या मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल मुसलमानों से वापस नहीं लिये जायंगे जब तक वे स्वयं खुशामद करके न दें। हिन्दू उन पर अपना पूरा दावा समाप्त कर देंगे क्योंकि पुराने जमाने में मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा किये गये अत्याचारों के ऐतिहासिक प्रमाण सुरक्षित रहना हिन्दुओं की पीड़ित और इस्लाम की आतंकवादी छवि को सामाजिक कलंक के रूप में लम्बे समय तक प्रस्तुत करने में सहायक होगा।

6–साम्प्रदायिक विचार प्रसार और संगठन बनाने की पूरी छूट होगी। समाज इस संबंध मे कानून बना सकता है।

7–साम्प्रदायिक आधार पर संगठित होकर शासन की नीतियों का कानूनों से हटकर विरोध को कुचल दिया जायगा और ऐसे समय पर न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धान्त को छोड़कर आवश्यक बल प्रयोग के कानून बनेंगे। हड़ताल, प्रदर्शन, घेराव आदि तब तक प्रतिबंधित होंगे जब तक ग्राम सभा उनकी अनुमति न दें।

इस परिवर्तन से मुसलमानों के संख्या वृद्धि के प्रयासों पर रोक लगेगी तथा संघ की भी साम्प्रदायिक सोच रूक जायेगी। हिन्दू आदर्श मान्यताओं सर्व धर्म समभाव वसुधैव कुटुम्बकम का प्रभाव विश्व में बढ़ेगा। धर्म निरपेक्षता के मामले में सभी साम्प्रदायिकता समाप्त हो जायेगी। धर्म निरपेक्षता के मामले में सभी साम्प्रदायों की हिन्दू मान्यताओं पर आचरण मजबूरी हो जायेंगी।

छ–जातिवाद और जातीय कटुता बिल्कुल समाप्त हो जायगी। वर्ण व्यवस्था का भी जन्मना स्वरूप धीरे–धीर समाप्त हो जायगा। इसके लिये–

1–सभी प्रकार के आरक्षण समाप्त कर दिये जायेंगे।

2–छुआछूत, आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा, महिला आदि के लिये भी कोई विशेष कानून नहीं होगी।

3–श्रम मूल्यों में भारी वृद्धि हो जायगी और जीवन भत्ता सबको समान रूप से मिलेगा। स्वाभाविक रूप से इसका अधिकांश लाभ पिछड़े लोगों को ही होगा।

4–ग्राम सभा शक्तिशाली होने से जातीय भावनाएं अनुपयोगी होकर सामाजिक एकरूपता मजबूत होगी।

5–श्रमिक, किसान, ग्रामीण और गरीब, ये चारों शर्ते पूरी करने वालों को प्रोत्साहित और बुद्धिजीवी, व्यवस्थापक, शहरी और मध्यम या सम्पन्न वर्ग को निरूत्साहित करने की अर्थ नीति बनायी जायेंगी।

6–परिवार की पुरानी परिभाषा, खून का सम्बन्ध' को बदलकर संयुक्त सम्पत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर एक साथ रहने हेतु सहमत व्यक्तियों का समूह बन जायेगी। परिवार बनाना अनिवार्य होगा। शासन या समाज इसमें कोई दखल नहीं देगा। विवाह, तलाक, भरण पोषण, सगोत्र रिश्ते, बालविवाह, बेमेल विवाह बालश्रम, बाल परवरिश आदि के संबंध में शासन कोई कानून नहीं बनायेगा। समाज सबकी सहमति से कानून बना सकता है।

इन कानूनों का जातीय कटुता पर व्यापक प्रभाव होगा। परिवार गांव जिला की सशक्त इकाई बनने से जातीय संगठन निरर्थक हो जायेंगे। श्रमिक, किसान, गरीब, ग्रामीण जीवन जीने वालों की सुविधाएं, जीवन स्तर और मनोबल बढ़ने का अधिकांश लाभ पिछड़े वर्गो को ही मिलेगा। इससे जातीय कटुता स्वयं कम होगी। राजनेताओं का पावर कम होने से भी जातिवाद को मजबूत बनाये रखना निरर्थक हो जायेगा। आरक्षण की समाप्ति भी जातिवाद को बहुत नुकसान करेगी। मेरे विचार में जातिवाद को खत्म करने के प्रयास बन्द कर देना जातिवाद को कम करने का सबसे अच्छा समाधान है। इतना अवश्य है कि जातिवाद कम या समाप्त होने से राजनैतिक दुकानदारी पर व्यापक प्रभाव संभव है।

ज–भ्रष्टाचार व्यवस्था की सबसे घातक बीमारी है। आपकी अच्छी से अच्छी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी समस्या नहीं है। भ्रष्टाचार आर्थिक समस्या भी नहीं हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरह अव्यवस्था का परिणाम है। अतः हमें दो दिशाओं में सक्रिय होना होगा। क–भ्रष्टाचार उत्पादन के अवसरों को न्यूनतम करना, ख–भ्रष्टाचार की पूरी कठोरता से रोकथाम। इसके लिये–

1–सरकार के अधिकांश विभाग समाज को स्थानान्तरित कर दिये जायंगे। सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या घट कर एक दो प्रतिशत ही रह जायेगी।

2–पुलिस विभाग का हस्तक्षेप समाज में बहुत कम होगा। उनकी संख्या भी घट जायेगी।

4–भ्रष्टाचारी को पकड़ कर निश्चित, शीघ्र और कठोर दण्ड की व्यवस्था होगी।

5–राजनेताओं के अधिकार बहुत कम हो जायेंगे।

6–प्रत्येक परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति घोषित होगी। काला धन की परंपरा नहीं रहने से भ्रष्टाचार का धन छिपाना कठिन हो जायेगा।

7– अपराधी के साथ–साथ परिवार को भी दण्डित करने के अधिकार से परिवार का भी दबाव बनेगा।

8– गुप्त मुकदमा प्रणाली का भी गुप्त भय बना रहेगा।

9– टैक्स और सब्सीडी का नया तरीका भी भ्रष्टाचार कम करेगा।

इन प्रावधानों से पंचान्नवे प्रतिशत भ्रष्टाचार तो एक ही दिन में रूक जायेगा। पांच प्रतिशत को रोकने के ही प्रयत्न करने होंगे। भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलना एक बहुत बड़ी सफलता और उपलब्धि मानी जायेगी जो उपरोक्त प्रावधानो से बिल्कुल संभव है।

झ–सम्पूर्ण समाज में तेजी से चरित्र पतन हुआ है। भ्रष्टाचार और चरित्र पतन दोनों सगे भाई है। भ्रष्टाचार जहां सरकार को खोखला करता है। वहीं चरित्र पतन समाज को खोखला करता है। चरित्र पतन किसी भी रूप में प्रशासनिक समस्या नहीं है। वह पूरी तरह सामाजिक समस्या है। इसे प्रशासनिक समस्या मानते ही चरित्र पतन की गति बढ़ने लगती है। भारत में लगातार चरित्र में गिरावट आ रही है और इसे सुधारना बहुत आसान काम है। इसके लिये–

1–चरित्र निर्माण का सम्पूर्ण दायित्व समाज को सौंपकर प्रशासन पूरी तरह उससे दूर हो जायेगा।

2–कानूनों की संख्या न्यूनतम हो जायेगी ।
3–चरित्र पतन की रोकथाम में सामाजिक भय बहुत सफल होगा।
4–अपराध और चरित्र पतन को बिल्कुल भिन्न करके देखा जायेगा। चरित्र की शासन या कानून कोई चिन्ता नहीं करेगा क्योंकि चरित्र कानून का विषय नहीं।

मूझे विश्वास होता है कि नई व्यवस्था लागू होते ही तत्काल देश के चरित्र का ग्राफ बहुत तेज गति से उपर बढ़ेगा और सिर्फ कुछ दिनों में ही चरित्र की गिरावट समाप्त हो जायगी।

ट–बलात्कार भी एक जघन्य अपराध है। महिलाओं के लिये बलात्कार सबसे गंभीर अपराध है। किसी भी अपराध पर महिलाओं पर बलात्कार रोकना आवश्यकता है। इसके लिये–
1–किसी भी अपराध में दण्ड का निर्णय बहुत कम अवधि में होने से बलात्कार करने वालों में भय व्याप्त होगा।
2–महिलाओ को समानता का अधिकार दिया जायेगा। न महिलाओं को विशेष अधिकार होगे न कम।
3–सम्पत्ति में भी महिलाओं को बिल्कुल समान अधिकार होगे किसी भी हालत में सम्पत्ति की समानता में कटौती नहीं होगी।
4–विवाह तलाक आदि के सम्बन्ध में सरकार न कानून बना सकेगी न हस्तक्षेप करेगी। बालक जन्म लेने के बाद परिवार या समाज का सदस्य होगा। माता उसका भरण पोषण कर सकती है पर बाध्य नहीं होगी क्योंकि ये नियम बनाने का अधिकार समाज का होगा सरकार का नहीं।
5–महिलाएं पिता का परिवार छोड़ देने के बाद पिता परिवार की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं रखेंगी। उनका पति की सम्पत्ति में ही अधिकार होगा। जो परिवार की कुल सदस्य संख्या के आधार पर बराबर होगा।
6–यदि कोई परिवार किसी सदस्य चाहे बालक हो या वृद्धि का भरण पोषण नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता तो वह उसे समाज को सौंप सकता है। समाज उसका भरण पोषण करने के लिये व्यवस्था करेगा। यदि समाज नहीं करेगा तो सरकार करेगी। उक्त सदस्य की सम्पत्ति उसके साथ समाज को चली जायेगी।
7–यौन शोषण को बलात्कार से अलग करके समाज के सुपुर्द कर दिया जायेगा।

ऐसा होने से महिलाओं में पुरूषों के विरूद्ध वर्ग के रूप में खड़े होने की प्रवृत्ति कम होगी। परिवार मजबूत और व्यवस्थित होंगे। सम्पत्ति में महिलाओं को समान अधिकार मिलने से वे मजबूत होंगी। महिलाओं की भूमिका पुरूष की सहयोगी न रहकर साझेदार की हो जायेगी। कुछ पुरानी परंपराएं टूटेंगी और कुछ नई परंपराएं भी छिन्न–भिन्न होंगी। जो होगा वह वर्तमान से अच्छा ही होगा। इतना अवश्य होगा कि कुछ महिला नेताओं का रोजगार छिन जायेगा।

ठ–वर्तमान समय में समाज का कानूनों पर से बिल्कुल विश्वास उठ गया और अपराधियों का कानून से भय समाप्त हो गया है। आमतौर पर अपराधी आदत न अपराधी बन रहे है। सामान्यतया भी समाज में विचार मंथन की अपेक्षा बल प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह भी एक घातक प्रवृत्ति है। इसे रोकने के लिये–
1–शासन और उसके कानूनों का हस्तक्षेप समाज में न्यूनतम होगा।
2–शासन और कानूनों को हिंसा पर नियंत्रण के लिये अधिक बलप्रयोग की व्यवस्था होगी। गांधी जी के न्यूनतम शासकीय बल प्रयोग के सिद्धान्त को असफल मानकर आवश्यक बल प्रयोग में बदला जायेगा। आवश्यक की मात्रा में भ्रम होने पर अधिक बल प्रयोग किया जा सकता है परन्तु कम नहीं।
3–विशेष मामलों में सार्वजनिक फांसी की प्रथा शुरू की जायेगी।
4–विशेष क्षेत्रों में गुप्त मुकदमा प्रणाली शुरू की जायेगी।
5–किसी भी स्थिति में शस्त्र रखने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
6–किसी भी प्रकार के गैर कानूनी या अपराधिक बल प्रयोग से होने वाली क्षति का भरपूर मुआवजा दिया जायेगा।
7–बल प्रयोग करने वाले को कठोर और अतिशीघ्र दण्ड दिया जायेगा।
8–छोटे से बल प्रयोग को भी दण्डनीय पुलिस अपराध में जोड़ा जायेगा। अर्थात् धारा तीन सौ तेइस को भी पुलिस हस्तक्षेप में शामिल किया जायेगा।
9–न्यायालय में अपराधी का विस्तृत बयान पहले ही रिकार्ड किया जायेगा।
10–परिवार के प्रत्येक सदस्य के आपराधिक आचरण की जिम्मेदारी सम्पूर्ण परिवार पर होगी।

इससे बल प्रयोग की आवश्यकता भी नहीं रहेगी और बल प्रयोग करने वालों में भय बनेगा। कानून हाथ में लेने की घातक प्रवृत्ति पर नियंत्रण का यह एक समाधान हो सकता है। पुलिस द्वारा बिना न्यायालय के ही दण्ड देने की अवैध प्रणाली भी रूकेगी।

ड.–वर्तमान समय में समाज में जालसाजी, धोखा, मिलावट, कमतौल, आदि अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये अपराध समाज के लिये कलंक तो हैं ही, व्यवस्था भी फैलाते हैं। आदर्श और सुखी समाज में ऐसे अपराधों का कोई स्थान नहीं हो सकता। भारत की कानून व्यवस्था और शासन प्रणाली इन अपराधों को नहीं रोक पा रही। इसके लिये–
1–जालसाजी और धोखा को अपराध मानकर उसे रोकने के वे सभी प्रयत्न होंगे जो अपराधों की रोकथाम के लिये होते हैं।
2–मिलावट और मिश्रण की परिभाषाओं को और स्पष्ट किया जायेगा।
3–सभी प्रकार के मूल्य नियंत्रण कानून हटा दिये जायंगे कोई भी वस्तु किसी भी मूल्य पर बेचने में सरकार कोई कानून नही बना सकेगी, समाज बना सकता हैं।

इस तरह अपराधों की सूची से वैश्यावृत्ति, ब्लैक, तस्करी, दहेज, आदिवासी, हरिजन वन अपराध आदि के कानून हट कर समाज के पास चले जाने से मिलावट, हिंसा, बलात्कार, जालसाजी, चोरी, डकैती, रोकने में शासन अधिक सक्षम और प्रभावशाली भूमिका निभा सकेगा।

भारत का आदर्श स्वरूप बनाने के लिये समाज की सक्षम और शासन की नियंत्रित भूमिका की कल्पना है किन्तु अपराधों की रोकथाम के लिये सक्षम और प्रभावकारी शासन चाहिये। ऐसे शासन में न्यायालय की भी सक्षम और साफ सुधरी प्रणाली आवश्यक है। न्यायालय से अपराधी को दण्ड न मिलना पीड़ित के साथ तो अन्याय ही है। जो अभी धड़ल्ले से जारी है। मैने न्यायालय की वर्तमान भूमिका चाहे सौ अपराधी छूट जायें पर एक भी निरपराध को सजा न हो को बदलकर न कोई निरपराध को सजा हो न कोई अपराधी छूटे की दिशा में संतुलित करने का प्रयास किया है। इसके लिये–

1–पंचान्नवे प्रतिशत वर्तमान कानून समाज को सौंप कर तथा संबंधित अपराधों को पुलिस और न्यायालय से हटाकर उनका बोझ कम कर दिया है।

2–अनेक अपराध यदि पंचायतों में निपट जाते हैं और दोनों पक्ष मान जाते है तो मामले न्यायालय तक जायेंगे ही नहीं।

3–कुछ विशेष गंभीर मामलों में गुप्तचर न्यायालय गुप्त ट्रायल कर सकता है।

4–अपराधों की मात्रा की समीक्षा में कलेक्टर, एस.पी. के साथ–साथ जिला जज भी बैठेंगे। यदि अपराध नहीं घटते हैं तो तीनों मिलकर स्थिति की समीक्षा करेंगे।

5–संविधान की व्याख्यां के मुद्दे पर यदि सर्वोच्च न्यायालय की टीम में सर्व सहमति नहीं है तो वह मामला संविधान पीठ के समक्ष व्याख्या के लिये जायेगा।

6–न्याय निश्चित हो, त्वरित हो, स्पष्ट हो इसका पूरा प्रयत्न होगा।

शिक्षा के संबंध में भी नई नीति बनेगी। शिक्षा से सरकार का संबंध पूरी तरह समाप्त करके शिक्षा को समाज का विषय बनाया जायेगा। शिक्षा पर सरकार न कोई खर्च करेगी न नीति बनायेगी। वर्तमान समय में रोजगार और प्रगति बुद्धि के साथ जुड़ी हुई है। इसलिये सम्पूर्ण शिक्षा भी बुद्धि के साथ जुड़ी हुई है। हमारे सपनों के भारत में रोजगार और प्रगति को श्रम के साथ जोड़ा जायेगा। श्रम मूल्य बढ़ेगा, जीवन भत्ता सबको बराबर मिलेगा। दूसरी ओर बुद्धि का मूल्य घटेगा। इसलिये शिक्षा भी श्रम प्रधान और बुद्धि प्रधान अलग–अलग होगी। श्रम प्रधान शिक्षार्थी को खेती करने, खदान में काम करने, वन उत्पाद इकट्ठा करने, पशुपालन आदि विषय पढ़ाये जायेंगे। वृद्धि प्रधान शिक्षार्थी को वर्तमान प्रणाली से शिक्षा दी जायगी। श्रम के रोजगार से जुड़ने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षार्थी श्रम प्रधान शिक्षा व्यवस्था की ओर आकर्षित होंगे।

हमारी योजना में शहरी आबादी अपने आप घटकर गांवों की ओर चली जायेगी। शहरों का आवागमन सुविधाजनक होगा। बेरोजगारी समाप्त हो जायेंगी श्रम की मांग इतनी बढ़ेगी कि श्रम मूल्य कई गुना बढ़ जायेगा। जीवन भत्ता मिलने से और सुविधा होगी ही। श्रम प्रधान, गरीब, किसान और ग्रामीण जीवन के परिवारों का जीवन स्तर बहुत सुखी और सुविधाजनक होगा।

आंतरिक आतंकवाद पर दुहरी मार पड़ेगी। एक ओर तो कमजोर, श्रम प्रधान, गरीब, किसान का जीवन स्तर सुधरने से उनके पैर उखड़ जायेंगे दूसरी ओर कठोर प्रशासनिक पुलिस न्याय व्यवस्था भी उनकी कमर तोड़ देगी। बाहरी आतंकवाद को सरकार और ठीक से रोक सकेगी क्योंकि सरकार के पास ही मख्य कार्य रहेगा सरकार बिल्कुल खाली रहने से इस ओर ध्यान दे सकेगी।

चुनाव व्यवस्था में व्यापक फेर बदल की आवश्यकता नहीं रहेगी। चुनावों में अपराधियों का प्रवेश और जीतने की मारामारी अपने आप समाप्त हो जायेगी क्योंकि जब संसद और सरकार के अधिकार ही बिल्कुल कम हो जायेंगे तो वहां लोग पहंचाने के उतने गंभीर प्रयत्न नहीं करेंगे जितने अभी करते हैं। अन्य विषयों पर आवश्यकतानुसार विचार कर लिया जायगा।

मैंने जो सपना देखा है वह आपको बहुत जटिल कार्य दिखता होगा क्योंकि कई पृष्ठ लिख दिये गये हैं किन्तु कुल मिलाकर मुख्य परिवर्तन अधिक नहीं है–

1–सरकार के अनेक अधिकार पंचायतों को स्थानान्तरित करना।

2–विशेष क्षेत्रों में अल्प काल की गुप्त मुंकदमा प्रणाली।

3–व्यवस्था में परिवार की भूमिका संवैधानिक। शासकीय हस्तक्षेप से दूर।

4–सभी प्रकार के कर हटाना, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भत्ता देना, सम्पूर्ण सम्पत्ति पर अधिकतम दो प्रतिशत वार्षिक कर, शेष सारा टैक्स कृत्रिम उर्जा पर।

5–कानूनों से धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र, उम्र, अमीर, किसान उपभोक्ताओं आदि के सभी भेद समाप्त करके एक समान कानून करना।

ये पांच मुख्य संशोधन हैं। बाकी तो इनके विस्तार हैं या छोट–छोटे संशोधन है। इन पांच संशोधनों से मेरे सपने यथार्थ में बदल जाते है। इन सपनों को यथार्थ में बदलने के योजनाबद्ध प्रयास प्रारंभ हैं पहले चरण के रूप में लोकतंत्र को लोक नियुक्त तंत्र से बदलकर लोक नियंत्रित तंत्र बनाना है। इसके लिये चार सूत्रिय संविधान संशोधन अभियान को जन आंदोलन बनाने का स्वरूप दिया जा रहा है। इसकी सफलता से वास्तविक संशोधन होंगे जो वास्तव में तो पहले चरण के बाद शुरू होंगे किन्तु अभी से इन पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। तीसरा चरण समाज को शिक्षित जागरूक करना है जो दूसरे चरण के बाद शुरू होकर अनन्त काल तक चलता रहेगा।

इस कार्य की सफलता के लिये आवश्यक है कि बुरे लोगों के विरूद्ध सम्पूर्ण समाज एक जुट हो जावे। समाज में बुरे लोगों की संख्या एक दो प्रतिशत से अधिक नहीं है। उनकी पहॅचान भी कठिन नही है किन्तु उनके मायाजाल से बचना बहुत कठिन है।

ये लोग समाज को हमेशा बांटकर रखते हैं। इन बुरे लोगों का नेतृत्व किसी सामाजिक संस्था में नहीं मिलेगा। संघ हो या सर्वोदय, साम्यवादी हों या कांग्रेसी, सबका नेतृत्व अच्छे लोगों के हाथ में ही होता है किन्तु इनकी प्राथमिकताएं ऐसी बना दी जाती हैं कि वे एक दूसरे के विरूद्ध ही कटते मरते रहते है। इन संस्थाओं का नेतृत्व इतना संकीर्ण सोच का हो जाता है कि वह दिन–रात अन्य सोच वालों से टकराव के अतिरिक्त कुछ सोचता ही नहीं। ये सब लोग अपने–अपने कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से इस तरह घेर कर रखते हैं कि इनका कोई कार्यकर्ता घेरे से बाहर के सम्पर्क में सोचना भी न शुरू कर दे। ये बाड़ा प्रमुख यह काम बहुत आसानी से सम्पन्न करते हैं। पहले प्रचलित शब्दों का अर्थ और उसकी पहॅचान बदल दी जाती है। इस नये अर्थ को इतनी बार रिपोर्ट करते हैं कि उस शब्द का वास्तविक अर्थ पीछे होकर नया अर्थ ही स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उसके बाद इन्हें उस शब्द के नये अर्थ के आधार पर अपना खेल खेलने में सुविधा हो जाती है। इन शब्दों के नये अर्थो के पक्ष विपक्ष में दो गुट बनकर ये लोग ऐसी बहस शुरू करते हैं कि शब्द अपना वास्तविक अर्थ खो देता है। वैसे तो ऐसे अनेक शब्द हैं किन्तु चार–पांच शब्द समाज में अधिक मारक प्रभाव रख रहे है।

1–समाजवाद शब्द का सर्वाधिक दुरूपयोग हुआ। समाजवाद का अर्थ सत्ता की अपेक्षा समाज के पास अधिक अधिकार होने से था। समाज की भूमिका मालिक और सत्ता की भूमिका प्रबंधन की हो। समाजवाद शब्द को वास्तविक संदर्भो से हटाकर उसे इस तरह धन के साथ जोड़ दिया गया कि राष्ट्रीयकरण जैसे सत्ता केन्द्रित कार्य भी समाजवाद कहे जाने लगे। समाजवाद आर्थिक विकेन्द्रीयकरण न होकर अधिकारों के विकेन्द्रीयकरण से जुड़ा होना चाहिये।

2–धर्म शब्द का भी खूब दुरूपयोग हुआ। धर्म हमेशा गुण प्रधान होता है, उपासना या संगठन प्रधान नही। इस्लाम ने स्वयं को धर्म घोषित कर दिया और धीरे–धीरे धर्म शब्द अपना वास्तविक अर्थ खोकर उपासना और संगठन से जुड़ गया।

3–महंगाई भी एक ऐसा ही शब्द है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। महंगाई और मुद्रा स्फीति एक ही होते हैं जिसका सामान्य लोगों पर कोई प्रभाव नहीं होता। किन्तु महंगाई और मुद्रा स्फीति को सामान्य जन जीवन से ऐसा जोड़ा गया कि भारत की अधिकांश आबादी इसके भावनात्मक और अस्तित्वहीन दुष्प्रभाव से दुखी है।

4–बेरोजगारी शब्द के साथ बड़ी चालाकी से शिक्षित शब्द जोड़कर उसकी परिभाषा और प्रभाव को बदल दिया गया है। बेरोजगारी शब्द को श्रम के साथ जुड़ना चाहिये था क्योंकि श्रम, ग्रामीण, मूल उत्पादक और गरीब का एक सामान्य सा आपसी संबंध है। किन्तु चालाक लोगों ने चारों असुविधाओं से पीड़ित लोगों का शोषण करने के लिये शिक्षा और बेरोजगारी को जोड़ने का ऐसा ताना बाना बुना कि श्रम प्रधान ग्रामीण गरीब भी शिक्षा और शिक्षित बेरोजगारी के ही अर्थ को ठीक मानने लगा है।

5–एक शब्द है कृत्रिम उर्जा। कृत्रिम उर्जा श्रम सहायक हो ही नहीं सकती। कृत्रिम उर्जा श्रम का विकल्प हैं। स्पष्ट है कि वह श्रम की प्रतिस्पर्धा है। यह संभव ही नहीं है कि कृत्रिम उर्जा श्रम की मांग बढ़ाने में सहायक हो बेरोजगारी कम करे। किन्तु पूरे देश में ऐसा वातावरण बनाया गया कि कृत्रिम उर्जा ही श्रम को रोजगार भी दे सकती है और वही महंगाई भी दूर कर सकती है। प्रचार का ऐसा प्रभाव हुआ कि रिक्शा चालक भी पेट्रोल की मूल्य वृद्धि से स्वयं को दुखी महसूस करने लगता है जबकि कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि उसकी आय में गुणात्मक वृद्धि कर सकती है। आश्चर्य की बात है कि भारत के एक प्रदेश मध्य प्रदेश में जूता तक पर टैक्स लगता है। उससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह हैं कि मध्य प्रदेश में आदमी द्वारा हाथ निर्मित जूतों पर बारह प्रतिशत कर है और मशीन निर्मित फैक्ट्री के जूतों पर चार प्रतिशत। मानवीय श्रम पर इतना अधिक कर लगाकर न भाजपा सरकार शर्म महसूस करती है न कांग्रेस। साम्यवादी और समाजवादी तो कभी ऐसे मुद्दों को छेड़ते ही नहीं क्योंकि श्रम शोषण मे इनकी भूमिका तो विश्व विख्यात है। सबसे बड़ी कठिनाई इन संकीर्ण बाड़ा प्रमुखों को संकीर्णता से उपर उठाने की है। देश के अच्छे लोग एक दूसरे के सम्पर्क में आवें, गुण दोष की समीक्षा करके एक दूसरे का विरोध या समर्थन करें और एक बड़े लक्ष्य और उद्देश्य को पहचानना शुरू कर दे तों यह काम बहुत आसान है। संघ और सर्वोदय के अच्छे लोगों की संकीर्णता कम करने में आंशिक प्रगति एक शुभ संकेत है। भविष्य में ऐसे लोगों को एक जुट करने में आप सबका सहयोग बहुत उपयोगी होगा।

मैंने जो सपना देखा उसकी सफलता के प्रयासों की शुरूआत रामानुजगंज शहर से हुई और अब उसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में होने जा रहा है। ये समस्याएं सिर्फ भारत तक ही सीमित हों ऐसा नहीं है। अनेक समस्याओं से विश्व के अनेक देश प्रभावित है। भारत की सफलता जब विश्व व्यवस्था को प्रभावित करेगी तब मुझे महसूस होगा कि अब मेरा सपना पूरा हो गया है।